प्रेस विज्ञप्ति
09.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी),हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 26.03.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, विशाखापत्तनम के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुम्मन राजेश्वर राव, तत्कालीन सर्वेक्षण उप निरीक्षक, विशाखापत्तनम और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत(पीसी) दर्ज की है । माननीय न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है।

ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो, आंध्र प्रदेश पुलिस,सीआइयू,विजयवाड़ा द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सपठित 13(1)(ई) के तहत आरोप था कि मुम्मन राजेश्वर राव, एक लोक सेवक होने के नाते अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और अवैध और भ्रष्ट साधनों के माध्यम से अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति का अधिग्रहण किया, जो 2.20 करोड़ रुपये की आय के उनके ज्ञात स्रोतों से अनुपातहीन था ।

ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला कि श्री आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए एक लोक सेवक के नाते मुम्मन राजेश्वर ने अवैध साधनों से अपराध की भारी आय अर्जित की थी, जिसका उपयोग उनके नाम पर और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर फ्लैट, सोने के गहने, प्लॉट, वाहन आदि सहित चल/अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में किया गया था, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातहीन थे।

****